



षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 27 आषाढ़, 1941 (श०)
18 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 110

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	28
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	28
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	18
(4)	कृषि विभाग	..	..	09
(5)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	..	..	12
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	10
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	05
कुल योग --				<u>110</u>

कार्वाई करना

'क' *242. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिकारियों की सौद्विध मिलीभगत से आपूर्तिकर्ता को 15.75 करोड़ की राशि का निम्न गुणवत्ता वाले गनी बैग (बोरा) के लिये अवैध भुगतान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कंपनी ने बिहार में खरीफ विपणन सत्र 2014-15 के लिये 60 हजार गनी बैग (बोरा) वेल्स की आपूर्ति के लिये नवम्बर, 2014 में निविदा आमंत्रित की थी, जिसमें निविदा के शर्तों के विपरीत मेसर्स विन्सन इन्टरनेशनल लिमिटेड, समस्तीपुर (आपूर्तिकर्ता को) प्रति बेल 21 हजार 408 रुपये 34 पैसे की दर से 60 हजार वेल्स की आपूर्ति आदेश दिया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूरे राज्य में गनी बैग्स (जूट का बोरा) की विगत 10 वर्षों में हुई खरीद में कंपनी के अधिकारियों की मिलीभगत की जाँच कराकर कार्वाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि भुगतान करना

'ख' *666. श्री (डॉ०) सी० एन० गुप्ता--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत नगर निगम में 6,071 शौचालय निर्माण में प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है, लेकिन दूसरा किस्त का भुगतान नहीं होने के कारण शौचालय निर्माण कार्य बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शौचालय निर्माण की दूसरी किस्त की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला सहित पक्की सड़क का निर्माण

1584. श्री विद्या सागर केसरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगवनी के वार्ड नं० 7 में जगतनारायण के लकड़ी मील से वार्ड नं० 9 में उदगार यादव के घर होते हुए पप्पु सिंह के घर तक का पथ काफी जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में नाला नहीं रहने के कारण पानी जमा होने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों को बरसात में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पथ को नाला सहित पक्कीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1585. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि एवं तुरकौलिया प्रखण्ड मुख्यालय में 1.50 करोड़ रुपये प्रति जलमीनार की लागत से जलमीनार का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के कारण जलमीनार जगह-जगह से टूट रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कार्य की जाँच कराकर कार्वाई का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क' दिनांक 4 जुलाई, 2019 एवं 11 जुलाई, 2019 को सदन द्वारा स्थगित ।

'ख' दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थगित ।

कार्रवाई करना

*1586. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार राज्य के भूमिहीनों को आवास के लिए 5 डीसमील जमीन मुहैया करवा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरनंगा जिला के सदर प्रखंड के पंचायत भालपट्टी के ग्राम-नैनाघाट, वार्ड नं० 15 के निवासी रीता देवी, दिनेश पासवान एवं प्रमीला देवी, दिलीप पासवान ने आवासीय भूमि के लिए विगत दो वर्षों से आवेदन सदर अंचल पदाधिकारी को दिया है, जिसपर कार्रवाई न होने के कारण पुनः आवेदन के बाद अंचल कार्यालय के पत्रांक 311, दिनांक 5 मार्च, 2019 के द्वारा डी० सी० एल० आर० को आवास के लिए जमीन देने की अनुशंसा की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त लाभुकों को आवासीय जमीन देने में विलम्ब के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए लाभुकों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया चापाकल लगाना एवं वैकल्पिक व्यवस्था

*1587. श्री सुबाष सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र में 58 चापाकल सहित पूरे गोपालगंज जिले में 365 चापाकल मृत चापाकल के नाम पर उखाड़ लिये गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उखाड़े गये चापाकलों के बदले नये चापाकल अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अंचल में बसाना

*1588. श्रीमती बेबी कुमारी--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भूमिहीनों के बसाने के लिए भूमि क्रय कर वासरहितों को बसाने की योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल द्वारा भूमिहीनों को बसाने के लिए अभीतक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचल में कबतक भूमिहीनों को बसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाइट की मरम्मत

*1589. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखण्ड नानपुर के पंचायत भदीयन के पंचमन्त भवन के नजदीक लगा हाईमास्ट लाइट फ्रीज 3 वर्ष से खराब है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित हाईमास्ट लाइट को मरम्मत कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय का निर्माण कराना

*1590. श्री कौशल यादव--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में एक भी हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो उक्त महाविद्यालय की स्थापना हेतु सरकार की क्या योजना है ?

कब्जा दिलाना

*1591. श्री सुबेदार दास--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के ग्राम+पंचायत-कोरियावाँ, थाना नं० 57 में खाता संख्या 126 एवं खेसरा संख्या 592 में स्व० मुन्द्रिका चौधरी, पिता-स्व० लालू चौधरी, गोपचन्द्र पासवान, पिता-भगल पासवान एवं अन्य 20 व्यक्तियों को दिनांक 11 नवम्बर, 1968 को 4-4 डीसमील जमीन की बन्दोवस्त दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त खाता एवं खेसरा में स्व० मुन्द्रिका चौधरी को 4 डीसमील में से 3 डिसमील कब्जा में है एवं 1 डीसमील जमीन श्री जगन्नाथ पासवान द्वारा अतिक्रमण किया गया है तथा उक्त अतिक्रमण की पुष्टि दिनांक 13 जुलाई, 2018 को अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ के रिपोर्ट में दिखाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री जगन्नाथ पासवान से 1 डीसमील जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुये स्व० मुन्द्रिका चौधरी के परिवार को कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*1592. श्रीमती अनिता देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के प्रखंड नासरीगंज के नगर पंचायत नासरीगंज में पोस्टल रोड की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, जिससे यातायात प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभ दिलाना

*1593. श्री चंदन कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत पैक्स के किसानों के फसल का बीमा विगत दो वर्षों से नहीं हो रहा है, जिससे बाढ़-सुखाड़ होने की स्थिति में पीड़ित किसानों के फसल क्षतिग्रस्त होने पर बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फसल का बीमा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्गत करना

*1594. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अनुमण्डलाधिकारी ने वाद संख्या 759 (एम)/2014 में पारित आदेश को आलोक में अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को खेसरा 273, खाता-34, मौज-चांगर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सामुदायिक शौचालय बनाने के लिये जारी करने को कहा था, लेकिन अभीतक जारी नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में ही पटना नगर निगम के वार्ड 32 के तत्कालीन पार्षद श्री तोता चौधरी व स्थानीय महादलितों ने 9 दिसम्बर, 2015 को सामूहिक आवेदन अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को उक्त आदेश के तहत ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं करने का क्या औचित्य है ?

पॉल्ट्री फार्म का व्यवस्था करना

*1595. श्रीमती सावित्री देवी—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत प्रखंड चकाई एवं प्रखंड सोनो में मुर्गी पॉल्ट्री फार्म तथा अण्डा पॉल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने हेतु समुचित व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है, जिससे मुर्गी पॉल्ट्री फार्म से मुर्गीपालकों को समुचित आय नहीं प्राप्त हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में मुर्गी पॉल्ट्री फार्म के विकास हेतु कौन-सी योजना कब तक कार्यान्वित करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमणमुक्त करना

*1596. श्री अमरनाथ गामी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के हायाघाट बाजार में सैरात की जमीन से सरकार को पूर्व में लाखों का राजस्व डाक प्राप्त होता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में सैरात की जमीन पर सरकारी राशि से सत्रह (17) दुकान का निर्माण करवाया गया है, जिसे नियम के अनुकूल वितरण कर किराये पर आवंटित करना था, जबकि स्थानीय पदाधिकारी के तालमेल से उक्त सत्रह सैरात की दुकान अवैध लोगों के कब्जे में चला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जमीन को अतिक्रमणमुक्त करवाकर कब तक सैरात करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1597. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत नगर पंचायत घोघरडीहा स्थित एस० एच० 51^क की सड़क पर ब्लॉक गेट से लेकर रेलवे स्टेशन चौक तक सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमित कर दैनिक हाट बाजार लगाया जाता है, जिसके कारण आवागमन बन्द हो जाता है तथा स्थानीय प्रशासन उस अवैध अतिक्रमण को हटाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कौन-सी कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक । नगर पंचायत घोघरडीहा के प्रतिवेदन अनुसार विधायकित सड़क पर खासकर अस्थायी फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा जाम लगाया जाता है । सब्जी विक्रेताओं के लिये अलग से बाजार चिन्हित कर लिया गया है, जिसे विकसित किया जा रहा है । उक्त सड़क पर अवस्थित सभी सब्जी विक्रेताओं को हटाकर नव-निर्मित बाजार में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । शेष फुटकर एवं अन्य विक्रेताओं से उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु जिला प्रशासन से कार्रवाई का अनुरोध किया जा रहा है ।

पेयजल की व्यवस्था करना

*1598. डॉ० संजीव चौरसिया—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना शहर अन्तर्गत कमला नेहरू नगर, अदालतगंज, यारपुर जैसे कई ऐसे स्लम बस्तियों में बड़ी संख्या में आम लोग निवास करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्लम बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के लिये पेयजल हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्लम बस्तियों में आम लोगों के लिये पेयजल की समुचित व्यवस्था कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1599. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, फारबिसगंज के पटेल चौक से जीरादेवी शितल साह महिला महाविद्यालय होते हुये एन० एच० 57 तक पथ काफी जर्जर है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ सकरा एवं टूटा-फूटा नाला होने के कारण पटेल चौक एवं महिला महाविद्यालय मोड़ पर बरसात होने पर भारी जल-जमाव हो जाता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पथ को नाला सहित पक्कीकरण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चापाकल लगवाना

*1600. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के सभी प्रखंडों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कुआँ एवं तालाब सूख गया है और चापाकल एवं बोरिंग पानी देना बन्द कर दिया है, जिससे आम जनता एवं मवेशी पानी पीने के अभाव में मर रहे हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि पानी नहीं मिलने के आक्रोश में आम जनता सड़क पर आन्दोलन कर रहे हैं ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पानी पीने की व्यवस्था जिले के सभी प्रखण्डों में कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*1601. श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में कोढ़ा प्रखण्ड में हल्का-5 राजवड़ा के कर्मचारी हैं, जो पूरे कार्यालय का काम देखते हैं तथा जिनके द्वारा प्रत्येक म्यूटेशन 2,500-3,000 रुपये की माँग की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराना

*1602. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड अन्तर्गत साहुगढ़ पंचायत नं० 2 एवं भेलवा पंचायत में पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित है, जहाँ 8 वर्षों से न तो पशु चिकित्सक और न ही पशुधन सहायक सेवा देते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सा केन्द्रों में कम-से-कम सप्ताह में दो दिन पशुओं की समुचित चिकित्सा व्यवस्था मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कारवाई करना एवं जलमीनार चालू कराना

*1603. श्री सैयद अब्दुल दौजाना--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड अन्तर्गत सरयुग उच्च विद्यालय के नजदीक एवं भिठ्ठा मोड़ के भिठ्ठा गाँव में विगत 2 वर्ष पूर्व में जलमीनार का निर्माण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों जलमीनार में सभी कार्य (पाइप लाइन बिछाना जगह-जगह नल लगाना इत्यादि) वर्ष 2018 में ही पूरा कराने के बाद भी विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण अबतक चालू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लापरवाही बरतने वाले पदा० के विरुद्ध कारवाई करते हुये उक्त दोनों जलमीनार को सुचारू रूप से चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*1604. श्रीमती सावित्री देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत प्रखंड सोनो के पंचायत रजौन के दुधनिया, बाघाकोल एवं पंचायत थम्न के बाराटांड के आम जनता छोटी नदी बाघाकोल से करीब 1 कि० मी० की दूरी से पानी ढोकर लाते हैं, जबकि अब वह नदी भी सुख चुकी है, जिससे ग्रामीणों के पेयजल के लिये त्राहिमाम मचा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित गाँव में पेयजल की व्यवस्था कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*1605. श्री (मो०) नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली नगर पंचायत के सिवान, सरफरा रोड के मुखल हिन्दी स्कूल से निकलकर मुखल गाँव होते हुये साझी, बरौली रोड में मिलने वाली सड़क काफी जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा मुक्त कराना

*1606. श्री प्रभुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के गड़हनी प्रखंड के उप-पंचायत के ग्राम-देवढी मौजा में 10 बीघा में आहर था जिसे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा होती थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में वर्ष 2014 में BDBL कम्पनी नाम की बीयर फैक्ट्री का निर्माण किया गया था तथा 10 बीघा आहर को अवैध रूप से फैक्ट्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिससे किसानों को पटवन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आहर को बीयर फैक्ट्री से कब्जा मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत का दर्जा देना

*1607. श्रीमती अरूणा देवी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के पकरीवरावाँ प्रखण्ड मुख्यालय पकरीवरावाँ एक बड़ा बाजार बन गया है तथा उक्त प्रखण्ड की जनसंख्या भी काफी अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड को नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1608. श्री (डॉ०) अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नवहट्टा प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं रहने के कारण विभाग का कार्य सूचारु रूप से नहीं चल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड उपलब्ध कराना

*1609. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत लखनपुर पंचायत के डकरा इंगलिश गाँव के वार्ड संख्या 6 के 300 परिवारों को राशन कार्ड के अभाव में विगत आठ वर्षों से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि इसके लिये अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी के कार्यालय में शपथ-पत्र के साथ आवेदन भी दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उन उपभोक्ताओं को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1610. श्री राम विशुन सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत जगदीशपुर में प्रमोटर माल्या ग्रुप, पीरो द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये ऑन लाईन निविदा हेतु आवेदन जमा किया गया था, जिसकी लॉटरी निकालने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जगदीशपुर द्वारा दिनांक 27 मई, 2019 की तिथि निर्धारित की गयी थी, पुनः लॉटरी निकालने हेतु सभी संवेदकों को 30 मई, 2019 की तिथि निर्धारित की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 30 मई, 2019 को बिना लॉटरी निकाले ही नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता द्वारा अपने चहेते संवेदकों को कार्य का आवंटन कर दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निविदा सं० 15/2018-19 का निविदा आमंत्रण तथा निष्पादन की जाँच कराते हुये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*1611. श्रीमती अमिता भूषण—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बीरपुर प्रखंड अन्तर्गत जगदर पंचायत स्थित पशु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (फजिलपुर) मृतप्रायः अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार इस पशु गर्भाधान केन्द्र को कबतक जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति कराना

*1612. श्री सुरेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत औराई विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत औराई प्रखंड एवं कटरा प्रखंड में पूर्व से पशु चिकित्सालय अवस्थित है, जिसमें पशु चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से पशु चिकित्सा कार्य प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा भवन का जीर्णोद्धार कराना

*1613. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखंड के हरदा एवं रानीपतरा पंचायत में पशुपालन विभाग का अस्पताल भवन काफी जर्जर है, जिससे पशुओं का चिकित्सा कार्य प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सा भवनों को कबतक जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1614. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पटना शहर स्थित वार्ड नं० 22ए० के अन्तर्गत शिवाजी नगर, मखदुमपुर बगीचा में शिवम् क्लासेज से उत्तर दिशा में एक गली है, जिसे अबतक पक्कीकरण का नाले का निर्माण नहीं किया गया है, जबकि लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गली को पक्कीकरण नाली निर्माण के साथ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1615. श्री सुनील कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सोतामढ़ी नगर परिषद् क्षेत्र में विगत दो वर्ष पूर्व तीन जलमीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया है, जिसमें प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने के कारण स्थानीय लोगों को जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित निर्माण कार्य का उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*1616. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी के गौशाला चौक भाया तिलक चौक, सुमंता होटल के पूरब मिनी बस स्टैंड के पास पथ निर्माण विभाग की सड़क तक डेढ़ किलो मीटर लम्बी सड़क बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण न सिर्फ जाम की समस्या होती है, बल्कि आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1617. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया नगर पंचायत में हर घर नल-जल योजना से 7 करोड़ 48 हजार रु० से गणाधिपति कन्स्ट्रक्सन प्राईवेट लि० ने कार्य किया है, जिसका रख-रखाव 5 वर्षों तक करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना के समाप्त हुये 1 वर्ष ही समय बीता है, लेकिन किसी भी परिवार को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तथा इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी, केसरिया ने जाँच हेतु बोर्ड के निर्णय के आलोक में पत्रांक 329, दिनांक 8 जून, 2019 के माध्यम से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को पत्र भेजा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कार्य की जाँच कराकर दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

आवासीय भूमि का रसीद काटना

*1618. राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला में शास्त्रीनगर एवं गौधीनगर, बगहा नगर के वार्ड संख्या 13, 14, 17, 18 में अवस्थित करीब 1700 परिवारों के आवासीय भूमि संबंधित कागजात वर्षों पहले जलकर नष्ट हो गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रभावित परिवारों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी और कई बार अनुरोध किया पर भूमि की रसीद नहीं काटी जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मामले की जाँच कर सम्बद्ध परिवारों को आवासीय भूमि की रसीद काटने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1619. श्री आलोक कुमार मेहता--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में ऑन लाइन दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन को धीमी रफ्तार से आम लोगों की परेशानी एक साल में भी दूर नहीं हो पा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस कार्य के लिये हर दिन अंचल कार्यालय में लम्बी लाइन लगी रहती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दाखिल-खारिज वादों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले राजस्व कर्मियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सुनिश्चित कराना

*1620. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के कुरसेला पंचायत के विशनपुर गाँव में स्थित जन-वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा कार्डधारियों के बीच अनाजों का वितरण नहीं करके उसको कालाबाजारी की जाती है, जिससे कार्डधारियों में रोष व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1621. डॉ० सी० एन० गुप्ता--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 मई, 2019 को प्रकाशित "नगर निगम में करोड़ों का टैक्स भोटाला" शीर्षक को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर निगम में खरीदे गये उपस्कर एल० ई० डी० लाइट सहित अन्य सामग्री मिलाकर 31 लाख रुपये टैक्स का भोटाला किया गया है, साथ ही वाहन के डीजल आपूर्ति में भी अनियमितता की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर निगम के खरीदे गये उपस्कर के भोटाले को जाँच कराते हुये पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

तालाब एवं पोखर की खुदाई

*1622. श्री चौरेंद्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर एवं बारून के कृषकों को पटवन हेतु ट्यूबवेल अथवा बोरिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन तालाब और पोखर के अभाव में पानी के लेयर नीचे चले जाने से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में तालाब एवं पोखर की खुदाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं आवास बनाना

*1623. श्री सैयद अबू दौजाना--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड को वर्ष 2017 में नगर पंचायत का दर्जा मिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत सुरसंड का अपना भवन नहीं रहने के कारण जन प्रतिनिधियों एवं पदस्थापित सरकारी पदाधिकारियों तथा कर्मियों को अस्थाई रूप से प्रखण्ड भवन के छोटे कमरों में शिफ्ट किया गया है, जिससे जन प्रतिनिधियों से लेकर पदस्थापित पदाधिकारी तथा कर्मियों को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जन प्रतिनिधियों, पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिये भवन एवं रहने के लिये आवास बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि भुगतान कराना

*1624. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड, बनमा प्रखण्ड एवं पतरघट प्रखंड में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किसानों को डीजल अनुदान एवं फसल सहायता की अनुदान राशि नहीं दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किसानों को अनुदान की राशि वितरित करने हेतु बी० ओ० एवं कोडिनेटर सलाहकारों के द्वारा किसानों को फसलों की पटवन एवं क्षति का सत्यापन करना है तथा जो किसान बी० ओ०, कोडिनेटर, सलाहकार को सत्यापन करने के एवज में अलग से राशि नहीं देते हैं, उन किसानों को डीजल अनुदान एवं फसल सहायता के लाभ से वंचित किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त तीनों प्रखण्डों में किसानों को अनुदान की राशि मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना

*1625. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत "हर घर नल का जल" पहूँचाना सरकार की योजना में है;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिले के मानसी एवं खगड़िया प्रखण्ड में पानी में आर्सेनिक एवं लौह अम्ल होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मानसी एवं खगड़िया प्रखण्ड में शुद्ध पेयजल के लिये जल उपचार (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवधि विस्तार कराना

*1626. श्रीमती पूनम देवी यादव--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 30 जून तक पैक्स के नये सदस्य बनने की तय सीमा है, जिसमें सरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान नहीं चलाने के कारण किसान ऑन लाइन पैक्स सदस्य नहीं बन पाये हैं, यदि हाँ, तो सरकार सदस्य बनाने की अवधि का विस्तार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण मंडी-सह-संग्रहण केन्द्र का निर्माण

*1627. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य सब्जी विपणन एवं प्रसंस्करण योजनान्तर्गत पटना, नालन्दा, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली जिला में पायलट योजना के तहत जिले के सभी प्रखण्डों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारिता समिति का गठन किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिले के सभी प्रखंडों में ग्रामीण मंडी-सह-संग्रहण केन्द्र (हब) का निर्माण किया जाना है, ताकि किसान उचित मूल्य प्राप्त कर सकें;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक कितने ग्रामीण मंडी-सह-संग्रहण केन्द्र (हब) का निर्माण करा लिया है तथा कितनी राशि खर्च की गई है ?

जलापूर्ति कराना

*1628. डॉ० अशोक कुमार (139)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत रोसड़ा प्रखण्ड के भिरहा ग्राम में वर्ष 1983 में पम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई थी तथा इसके लिए पानी टंकी का निर्माण भी प्रारंभ हुआ तो दो मंजिला तक बना था, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अधूरे पानी टंकी का निर्माण करवाकर ग्रामीणों को सुचारु रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू कराना

*1629. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत वैशाली में निरीक्षण भवन के निकट स्थित जलमीनार दस वर्षों से बंद होने से वहाँ की आम जनता को पेयजल की समस्या हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मछली पालन की व्यवस्था करना

*1630. श्री अशोक कुमार (132)--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला में खानपुर प्रखंड अन्तर्गत मननेवासा, सिरोपट्टी तथा इलमासनगर मोईन का कुल एकबा इक्कीस एकड़ से ज्यादा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सब मोईन के राजस्व कर में दोगुना की वृद्धि किये जाने के कारण और पिछले वर्ष से ही अल्प वृष्टि के कारण यहाँ के अधिकांश भाग सूख गये हैं, जिससे मछली पालकों को काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसे मोईन को उड़ाही करवाकर जल संचय के साथ मछली पालन के लिए कौन-सी व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई के साथ सब्सिडी देना

*1631. श्री शिवचन्द्र राम—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला में वर्ष 2017-18 में किसानों के लिए जैविक खेती में इनपुट सब्सिडी का प्रावधान किया गया था, जिसमें किसानों को समान खरीदने के लिए 6 हजार देना था;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित वर्ष के इनपुट सब्सिडी के पैसा के गबन की जाँच के लिए प्रधान सचिव ने दिनांक 30 जून, 2018 को राज्य नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में जाँच टीम का गठन किया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि लालगंज एवं रामपुर प्रखण्ड का जाँच किया गया और सत्य पाया गया, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस घोटाले की जाँच कर दोषी पदाधिकारियों के कार्रवाई करते हुए किसानों का सब्सिडी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना एवं पानी उपलब्ध कराना

*1632. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत हवेली खडगपुर प्रखंड के ग्राम-बासदेवपुर, परमानंदपुर, मंगनियातरी सहित दर्जनों ग्रामों में एवियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के द्वारा नल-जल योजना के तहत बोरिंग किया गया है, किन्तु संवेदक द्वारा कहीं भी पाइप नहीं बिछाया गया है और राशि की निकासी कर ली गई है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई एवं आम जनता को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वास भूमि उपलब्ध कराना

*1633. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर, फुलपरास एवं घोघरडीहा अंचलों के हजारों वासविहीन परिवार जो तटबंधों एवं सड़कों पर बसे हुये हैं, उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारियों को दो वर्ष पूर्व आवेदन दे चुके हैं फिर भी किसी परिवार को अबतक मु खंड उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वासविहीन आवेदकों को वास भूमि उपलब्ध करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1634. श्री अशोक कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अग्रियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत खानपुर प्रखण्ड मुख्यालय तथा शिवाजीनगर प्रखण्ड के ग्राम-हुमरा में ग्रामीण पेय जलापूर्ति योजना के तहत जलापूर्ति हेतु 10 वर्ष पूर्व जलमीनार का निर्माण कराये गये थे;

(2) क्या यह बात सही है कि समय बीतने एवं खर्च के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन से नहीं की जा रही है तथा स्थानीय लोगों को उलटे लीकेज से समस्या उत्पन्न हो गई है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार हुमरा स्थित जलमीनार के उपयोग के साथ पाइप लाइनों को सभी लीकेज को कबतक बन्द कराते हुए नियमित रूप से पेय जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*1635. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखण्ड के पंचायत कुशाबीजा, पचरतन, कुरमामां, नीमा, खरांटी, नदरपुर एवं घोड़ाघाट में पेयजल की घोर समस्या है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1636. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखण्डान्तर्गत अनुग्रह स्टेडियम में कामता राम, बुधु राम, सिकन्दर राम, दुर्गा राम, सुदर्शन राम, कईल राम, श्यामा चन्द्रवंशी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे खेल प्रेमी आमजन को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1637. श्रीमती समता देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र का काफी अंश पठारी एवं जंगल पड़ता है, जिसके कारण पीने के पानी का घोर संकट व्याप्त है, फिर भी अभीतक जलमीनार का निर्माण नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु जलमीनार की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण कराना

*1638. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा नगर पंचायत में मुख्य सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशन एवं कोर्ट तक जाने वाली सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण बरसात के मौसम में आमलोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुरू कराना

*1639. डॉ० सी० एन० गुप्ता—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 जून, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "बिहार के शहरों में अलग नहीं हो रहा सूखा व गीला कचड़ा" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के शहरी निकायों में डोर-टू-डोर कुड़ा कलेक्शन शुरू होने के बाद सभी शहरों में सूखा एवं गीला कचड़ा अलग संग्रहण करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वायु एवं जल प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी शहरों में सूखा एवं गीला कचड़ा अलग-अलग संग्रह करने की व्यवस्था कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण करना

*1640. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम के वार्ड नं० 40 के अन्तर्गत रायत्री मंदिर से कचहरी होते हुए सैदनगर काली मंदिर तक एवं सैदनगर पुलिया से आर० डब्लू० डी० कार्यालय होते हुए सहनी टोला तक पथ की स्थिति अत्यन्त जर्जर है तथा जल-जमाव के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित दोनों पथों में नाला का निर्माण करने के साथ कबतक पथ का जीर्णोद्धार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1641. डॉ० रामानन्द यादव—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखण्ड के ग्राम-सोनारू में माँ अम्बे राईस मिल के मालिक के द्वारा बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, पटना के द्वारा मिलिंग कार्य किया गया है तथा CMR मद में निगम का कुल अंके रु० 56,56,214 मिलर के पास बकाया रह गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी राईस मिलों के साथ इन्हें भी बकाया राशि 50,49,228 रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की नोटिस दी गई थी, फिर भी अभीतक माँ अम्बे राईस मिल का बकाया राशि 56,56,214 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार माँ अम्बे राईस मिल के बकाया राशि का भुगतान एवं विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1642. श्री बशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत कोचस में कनीय अभियंता का पद रिक्त है, जिससे विकास कार्य बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत कोचस में कबतक कनीय अभियंता का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1643. श्री ललन पासवान—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में भूमि संरक्षण पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता पदस्थापित हैं, जो दोनों आपस में संबंधी हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के डी० सी० ओ० एवं कनीय अभियंता तथा कैमूर जिला के सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा 50 प्रतिशत फर्जी तरीके से पोखरा का जीर्णोद्धार एवं पोखरा खुदाई के नाम पर राशि की निकासी कर लिया गया है, जबकि कहीं भी पानी का भण्डारण नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोनों जिला में भूमि संरक्षण के कार्यों की जाँच कराते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1644. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्रम--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला के बौसी प्रखंड में वित्तीय वर्ष 2016-17 से सुखनीया पेयजल आपूर्ति योजना का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे अभी तक पेय जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि राज्य में घोर जल संकट व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक, उक्त योजना से जलापूर्ति आरम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूर्ति लगाना

*1645. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में महापुरुषों की प्रतिमाएँ विभिन्न शहरों के मुख्य चौराहा पर लगाने के साथ चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान शहर में छपरा-सीवान मार्ग पर अवस्थित मुख्य चौराहा जे० पी० चौक के स्थान पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति उपलब्ध भूमि से हटकर दक्षिण दिशा में सड़क के एक ओर लगा दी गई है, जिससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और वहाँ प्रतिदिन जाम लगा रहता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*1646. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर नगर पंचायत जगदीशपुर में करीब 1.03 (एक करोड़ तीन लाख) रुपये का बिना विवाह भवन बनाये पूर्व नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा राशि का गबन कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च की उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को दिया जा चुका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1647. श्री (मो०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बरौली नगर पंचायत के सीवान सरफरा रोड के रतनसराय से निकल कर रतनसराय स्टेशन होते हुये साझी बरौली रोड में मिलने वाली सड़क गड्ढे में परिवर्तित हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कब तक निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1648. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेलीरोड स्थित संत रविदास आश्रम, पटना में जो खास महल की जमीन है, उसके सामने सार्वजनिक रास्ते पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है तथा दुकान बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे आश्रम में आवागमन बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खास महल मैनुअल नई खास महल नीति पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय के तहत राज्य सरकार को खास महल की जमीन को लीज/बन्दोबस्ती पर रोक हटा ली गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा हटाने हुये लीज/नवीकरण की कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नल जल- योजना का कार्यारम्भ करना

*1649. श्रीमती कुन्ती देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम पंचायत, तेलारी, ग्राम पंचायत सिंघौल, ग्राम पं० खुखड़ी तथा ग्राम पं० बथानी में नल-जल योजना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि उक्त क्षेत्र में पेयजल का घोर संकट व्याप्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित गाँवों में नल-जल योजना का कार्यारम्भ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

संख्या बढ़ाना

*1650. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में कुल 8463 पैक्सों में कुल 1,20,00,000 (एक करोड़ बीस लाख) किसानों को विशेष सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाया गया है, जबकि के० सी० सी० मात्र 5,00,000 (पाँच लाख) किसानों का ही दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक के० सी० सी० धारक किसानों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल बचाना

*1651. श्रीमती पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में केला फसल में बिल्ट रोग लग जाने के कारण 10 साल से केला फसल बर्बाद हो रहा है, परन्तु सरकार के स्तर पर अभीतक रोकथाम का कारगर कदम नहीं उठाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार बिल्ट रोग से केला फसल को कबतक बचाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

तालाबों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करना

*1652. श्री चन्द्रसेन प्रसाद--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इसलामपुर प्रखंड के वेशवक पंचायत में ग्राम सुखचैन मिल्की एवं सुढ़ी पंचायत के ग्राम सुढ़ी में अवस्थित तालाबों का जीर्णोद्धार एवं खुदाई नहीं होने के कारण मत्स्यपालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ-ही-साथ तालाबों की जमीन भी अतिक्रमित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त तालाबों की खुदाई एवं जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*1653. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण योजनाओं का सही ढंग से निष्पादन नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार किशनगंज जिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रिक्त पदों को कबतक भरने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1654. श्री सत्यदेव राम—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSM) के जिला पैनल से खाद्य आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यालयों/जिला कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को अधिकांश जिलों में दिसम्बर, 2018 से तथा कतिपय जिलों में अक्टूबर, 2018 से मासिक मानदंड का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

राशि वापस कराना

*1655. श्री (मो०) नवाज आलम—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में सन् 2013-14 के A.C.L. आवंटित गेहूँ का जमा राशि आजतक शहर में जन-वितरण प्रणाली दुकानदारों को वापस नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जन-वितरण प्रणाली के दुकानदार को राशि वापस करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1656. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत जन-वितरण प्रणाली वितरकों को खाद्य A की डोर-टू-डोर डिलेवरी देने के लिये वितरकों से संवेदक संजय यादव बिना तौल किये प्रति क्विंटल 9.00 रु० और तौलकर लेने पर 13.00 रु० प्रति क्विंटल की माँग करते हैं, जिसकी शिकायत वितरकों ने अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी से की है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*1657. श्री नन्द कुमार राय—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर नगर पंचायत वार्ड नं० 11, बखरा चौक से वार्ड नं० 14 प्रा०बि०, दलित टोला, सौदाइम्बर तक तथा वार्ड नं० 11 रेलवे गुमटी से एन०एच० 28 तक का सड़क विगत पाँच वर्षों से जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1658. श्रीमती कुन्ती देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखण्ड खिजरसराय के ग्राम-सतामस में कमिन्दर यादव के घर के निकट वित्तीय वर्ष 2017-18 में विधायक की अनुशंसा पर चापाकल गाड़ा गया है जबकि संवेदक द्वारा अभी तक चबुतरा नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रारम्भ करना

*1659. श्री तारकेशोर प्रसाद—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र में वर्षा एवं गंदे जल की निकासी हेतु स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम तथा सिवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर लम्बित रहने के कारण कटिहार नगर निगम क्षेत्र में भारी जल-जमाव की स्थिति बनी हुयी है एवं बीमारी फैलने की भी आशंका रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नाला का गन्दा जल निकासी एवं शोधन व्यवस्था के अभाव में निःस्सारित नहीं हो पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस योजना को प्रारम्भ करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू करना

*1660. श्री राज किशोर सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली प्रखंड के भागवतपुर पंचायत के चकरमदास ग्राम में मध्य विद्यालय, चकरमदास के निकट स्थित जलमीनार दस वर्षों से बंद होने से वहाँ की आम जनता को पेयजल की समस्या हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1661. श्री ललित कुमार यादव—स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 23 मई, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "17 जिलों में भू-जलस्तर 8 से 10 फिट तक नीचे गया, अधिकतर चापाकल सूखे" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 17 जिलों में भू-जलस्तर 8 से 10 फिट नीचे जाने से अधिकतर चापाकल सूख गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, जमुई, नवादा, मुजफ्फरपुर, नालंदा एवं गया सहित 25 जिलों में पानी के लिये युद्ध जैसा माहौल बन गया है, जबकि हर घर नल का जल मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना राज्य में कार्यान्वित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी प्रभावित जिलों में पेयजल की समस्या से निजात दिलाने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1662. श्री सुधांशु शेखर—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुररू प्रखंड के गुररू पंचायत के बगडीहा गाँव में हर घर नल का जल योजना में पूरे गाँव में बिना मानकों को पूरा किये पाईप बिछाया गया है तथा घर के अन्दर नल से पानी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही योजना में उपयोग किये गये सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करकर दोषियों पर कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु अस्पताल भवन का जीर्णोद्धार करना

*1663. श्री मुजाहिद आलम—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन काफी जर्जर व पुराना है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु अस्पताल भवन को कबतक जीर्णोद्धार करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण करना

*1664. श्री अमरनाथ गामो—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हावाघाट प्रखंड अन्तर्गत हावाघाट बाजार स्थित स्टेशन चौक से राम जानकी चौक होते हुये स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क के दोनों तरफ नाला नहीं रहने के कारण जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा आवागमन में भारी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित स्थान पर कबतक जल निकासी हेतु नाला का निर्माण करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

इनटकवेल बदलना

*1665. श्री अंजली शर्मा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम, बरारी स्थित जल संयंत्र में इनटकवेल पुराने होने के कारण एक वर्ष से पर्याप्त मात्रा में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त इनटकवेल को बदलने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1666. श्री प्रभुनाथ प्रसाद—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आरा (भोजपुर) जिला के अगियाँव प्रखंड अन्तर्गत अगियाँव, पवना, डिलियाँ, नारायणपुर में विगत 10 वर्ष पूर्व में पशु अस्पताल का निर्माण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर भवन का निर्माण होने के बावजूद भी चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं किये जाने के चलते पशुपालकों को इलाज के क्रम में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सकों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*1667. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कराहर एवं कोवस के 95 प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं जहाँ वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य करने हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिये कृषि अनुसंधान केन्द्र नहीं है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

जलापूर्ति करना

*1668. श्री अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टिकारी प्रखंड के रूपसपुर एवं नोनी पंचायत में मिनी जलापूर्ति योजना का अधिष्ठापन किया गया था, जो शुरुआत होने के कुछ दिनों के बाद से बंद पड़ा है एवं नोनी पंचायत की योजना अधूरी पड़ी हुयी है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित पंचायतों में जलापूर्ति योजना को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन करना

*1669. श्री उपेन्द्र पासवान--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बखरी अनुमंडल में भूमि सुधार उप-समाहर्ता का पद वर्षों से रिक्त पड़ा है, जिससे लोगों के भूमि संबंधी कार्यों का निष्पादन ठप पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर रिक्त पद पर भूमि सुधार उप-समाहर्ता का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वापस लेना

*1670. श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सुखाड़ से ग्रसित है, नदी, नाले, तालाब आदि सूख चुके हैं जबकि मछुआरे की मुख्य आजीविका का साधन मछली पालन करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोबस्त जलकरी/तालाबों का राजस्व वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि की गयी है, फलतः मछुआरे समाज भूखमरी के कागार पर हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोबस्त जलकरी/तालाबों का राजस्व वसूली में अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*1671. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सिकंदरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिकंदरा प्रखंड के सिकंदरा पंचायत में लोहंडा जलमीनार से सिकंदरा बाजार में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनार से कबतक सुचारु रूप से जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त करना

*1672. श्री सुभाष सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत उच्चकागाँव प्रखण्ड के छोटका साखे पंचायत के कवही ग्राम में दो तरफ से पक्का नाला बन गया है, परन्तु बीच में सरकारी जमीन अतिक्रमित रहने के कारण नाला नहीं बन पा रहा है, जबकि उक्त नाला तीन पंचायतों बैरिया, हरपुर एवं छोटका साखे पंचायत की जल निकासी का एकमात्र साधन है, यदि हाँ, तो सरकार कवही ग्राम में अतिक्रमित सरकारी जमीन को कबतक मुक्त करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक व्यवस्था करना

*1673. श्री जितेन्द्र कुमार राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा एवं नगरा प्रखण्डों में वाटर लेवल 80 फीट नीचे चला गया है जिससे उक्त प्रखण्डों के 90 प्रतिशत चापाकल सुख सूके हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्डों में कबतक जलापूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

फसल बीमा योजना का लाभ देना

*1674. श्रीमती बेबी कुमारी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के प्रखण्ड कृषि कार्यालय, मुराहरी द्वारा विगत वर्ष हुये सुखाड़ में क्षति के आकलन में अनियमितता बरती गई है, जिस कारण प्रहलादपुर, तरौरा पंचायत सहित 10 पंचायत के किसान वर्ग मुख्यमंत्री फसल सहायता बीमा योजना के लाभ से वंचित हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच करके उक्त पंचायतों के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ कबतक देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*1675. श्रीमती अनिता देवी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के प्रखण्ड नोखा के नगर पंचायत नोखा में मेन रोड से (आरा-सासाराम मुख्य पथ) से बाईपास पश्चिम पट्टी तक सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिससे यातायात प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क का कबतक जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1676. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ प्रखण्ड परिसर में ई-किसान भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्माण कराया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण अवधि से अबतक ई-किसान भवन का फ्लोर फट गया है तथा प्लास्टर भी छोड़ने लगा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पुनः चालू करना

*1677. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटैया अंचल में सर्वे का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ किया गया था तथा वर्ष 2018-19 में बिना कारण सर्वे के कार्य को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भू-धारियों को काफी परेशानी हो रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

*1678. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत आरा विधान सीमा क्षेत्र में डोर स्टेप डिलिवरी एग्रीमेंट के अनुसार खाद्यान का उठाव कार्य नहीं होता है एवं दुकानदारों से गेहूँ, चावल का भाड़ा वसूला जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद्यान प्रदर्शन के लिये सैंपल निर्गत नहीं किया जाता है और न ही दुकानदारों को तौल प्रमाण-पत्र दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी कबतक जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध करना

*1679. डॉ० विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के पंचायत श्रीरामपुर, डाबचिरैया, चाँपी, वार, गोपालपुर, कवौड़ी, बेला, चिताबकला एवं चेरकी में पेयजल की घोर समस्या है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायतों में आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण प्रतिशत पालन करना

*1680. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहकारिता विभाग द्वारा संचालित पंचायत पैक्स अध्यक्षों की कुल संख्या 4838 है;

(2) क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के नियमों के अनुसार सहकारिता विभाग के पैक्स अध्यक्षों के निर्वाचन में अनु0 जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत 16 प्रतिशत है, लेकिन 1 प्रतिशत का भी पालन नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

वासगीत पर्चा देना

*1681. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखण्ड के ग्राम-छीतौली, जगनाथपुर तथा गोरेयाकोठी, लाकाटोला के दर्जनों महादलित भूमिहीन भूमि के अभाव में गृह निर्माण योजना से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार इन महादलितों को वासगीत भूमि पर्चा कब तक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*1682. श्री अखतरुल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर नगर परिषद् क्षेत्र में निर्वाध पेय जलापूर्ति हेतु जलमीनार एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य पिछले 2 वर्षों से चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना को पूर्ण कर पेय जलापूर्ति कराने में काफी विलम्ब किया जा रहा है, जिससे शहरवासी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विलम्ब एवं लापरवाही बरतने वाले संवेदक एवं विभागीय अभियंताओं के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*1683. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के रबीगंज पंचायत में लगभग 150 भूमिहीन महादलित परिवार को वासगीत पर्चा 2 वर्ष पूर्व दिये गये थे, जिन्हें अब तक भूमि पर दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया है जिससे वे सरकारी लाभ से वंचित एवं आज तक बेघर हैं, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

*1684. डॉ० मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड के तारापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा वर्ष 2017 में सरकार से अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा जिलाधिकारी, मुंगेर से अर्हता संबंधी प्रतिवेदन की माँग की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, मुंगेर ने पत्रांक 398, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 द्वारा चोखित प्रतिवेदन निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेज दिया है, किन्तु अभी तक उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तारापुर को नगर पंचायत का दर्जा देकर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापन कराना

*1685. श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सिकंदरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खैरा प्रखंड में पशु चिकित्सा पदाधिकारी नहीं होने से वहाँ के ग्रामीणों को पशुओं की चिकित्सा कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में पशु चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1686. श्री प्रकाश वीर—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के सिरदला अंचल से अलग होकर विगत 10 वर्ष पहले मेसकौर प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय अस्तित्व में आया है, फिर भी मेसकौर पंचायत के चकलोदीपुर एवं नोनी गाँव का अंचल कार्य सिरदला अंचल में किया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

चालू कराना

*1687. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के वसंतपुर, लकड़ी नवीगंज तथा गौरेयाकोठी प्रखंडों में जलमीनार एवं लघु जलमीनार दर्जनों की संख्या में हैं, जिससे जलापूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जलमीनारों को कबतक चालू कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

रोक-थाम करना

*1688. श्री समीर कुमार महासेठ—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि हर घर नल का जल योजना के तहत डायरेक्ट मोटर पम्पिंग से प्रत्येक घर में जलापूर्ति की जानी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति से दस गुणा पानी की बर्बादी होती है तथा भू-जलस्तर नीचे चला जाता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भू-जल के अनावश्यक दोहन को रोक-थाम हेतु कौन-सी योजना कबतक लाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला के साथ सड़क निर्माण

*1689. श्री राजेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ प्रखण्ड के कुरथौल ग्राम स्थित वार्ड नं० 8 के न्यू एतवारपुर मुहल्ला के एन०एच० 83 से श्री संतोष कुमार के घर तक की सड़क जो गाँधी कॉन्फेरेटिव पथ के नाम से जाना जाता है, काफी जर्जर अवस्था में है तथा जल निकासी हेतु नाला नहीं रहने के कारण जलजमाव की समस्या भी रहती है, जिससे वहाँ के लोगों को मुख्य सड़क एन०एच० 83 तक आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पथ से जल निकासी हेतु नाला के साथ साथ सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुपालन कराना

*1690. श्री सुभांशु शेखर—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापक 9/विविध-14-13/2016 सा०प्र० 3295, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत इण्टरमीडियट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी संवर्ग के कर्मियों को वरीयता के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के स्वीकृत बल के 15 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नत/नियुक्त करना है, जबकि उक्त आदेश का अनुपालन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त आदेश का अनुपालन कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*1691. श्रीमती अमिता भूषण—क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बेगूसराय नगर निगम जी० डी० कॉलेज से रतनपुर होते हुये हेमरा चौक को जोड़ने वाली अवध-तिरहुत पथ जर्जर अवस्था में है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त जर्जर सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 18 जुलाई, 2019 (ई०)।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।